संख्या-93/2020/142जेपीआर/22-3-2020-800(165)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
इटावा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2020***

विषय- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी प्रशान्त पुत्र श्री गुरू नारायण, निवासी ग्राम-जैतपुरा, पोस्ट-चन्द्रपुरा, थाना-लवेदी, जनपद-इटावा को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1722/प्रो0का0/बन्दी पैरोल-88/2020-21, दिनांक 09-12-2020 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी प्रशान्त पुत्र श्री गुरू नारायण, निवासी जनपद-इटावा को शासनादेश संख्या-81/2020/107जेपीआर/22-3-2020-800(165)/2017, दिनांक 06-11-2020 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** प्रदान की जाती है।

शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-93/2020/142जेपीआर(1)/22-3-2020-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिरीक्षक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, इटावा।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।